"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( ) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री डी. एस. मिश्र, भा.प्र.से. (1982) कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) उप सचिव, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग तथा पदेन अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से., अपर आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम, छ. ग., रायपुर को दिनांक 15-03-2010 से 01-04-2010 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2010 तथा दिनांक 02-04-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम, छ.ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

5. सुश्री निगार के उक्त अवकाश अवधि में श्री देवाशीष दास, विशेष सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अपर आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम, छ. ग., रायपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/6/2007/1/2.—श्री एम. एस. परस्ते, भा. प्र. से., कलेक्टर जिला-बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 24-02-2010 से 12-03-2010 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परस्ते, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परस्ते को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परस्ते अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री परस्ते के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से. कलेक्टर, जिला-उ.ब. कांकेर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से., आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर को दिनांक 29-03-2010 से 07-04-2010 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-03-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री मनोहर पाण्डेय, आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/01/2010/1/2.—श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. कलेक्टर जिला-नारायणपुर को दिनांक 23-02-2010 से 26-02-2010 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27, 28 फरवरी एवं 01 मार्च 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केन आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री केन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री केन के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. एस. ओट्टी, रा.प्र.से., डिप्टी कलेक्टर, जिला-नारायणपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, नारायणपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/एफ 1/73/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे (1997), पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को अपने परिवार के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए बाहर जाने हेतु दिनांक 15-03-2010 से दिनांक 01-04-2010 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री एम. एल. कोटवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर दुर्ग को सौंपा जाता है.

3. श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक/एफ 7-08/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत कोण्डागांव विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा (1)	पद का नाम (2)	संस्था/पता (3)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद्, कोण्डागांव
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, जगदलपुर जिला जगदलपुर
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र बस्तर, जिला बस्तर
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र कोण्डागांव जिला बस्तर
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला-बस्तर
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, चिखलीपुटी
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, पलीरी
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुम्हारपारा
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रतिनिधि
	4. प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष, जिला बस्तर
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर
	6. प्रतिनिधि	वनमण्डलाधिकारी, कोण्डागांव
	7. प्रतिनिधि	अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कामर्स जगदलपुर
	8. प्रतिनिधि	श्री टी. एस. ठाकुर, मेन रोड कोण्डागांव
	9. प्रतिनिधि	श्री हेमसिंह राठौर, मेन रोड, कोण्डागांव
(झ)	समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2010

क्रमांक एफ 8-9/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र के बायलर क्रमांक-एम.पी./4036 को दिनांक 24-02-2010 से दिनांक 23-05-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. पाण्डे, टिकट परीक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, जांजगीर-चांपा के पद पर श्रम निरीक्षक कार्यालय, जांजगीर-चांपा में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सतीश तिवारी, परिचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-3 के पद पर हाईजीन लैब, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. खरहे, कार्य पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, रायगढ़ के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, रायगढ़ में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामजी मिश्रा, कैशियर द्वितीय, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, कोरिया के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, कोरिया में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री किशोर कुमार चौरे, परिचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-3, के पद पर, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. कनौजिया, टी. सी. टी., छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, अंबिकापुर के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हरीश चन्द्र मिश्रा, टिकट परीक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, जगदलपुर के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, जगदलपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईश्वर चन्द्र पाटले, यातायात पर्य. द्वितीय, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, रायपुर के पद पर, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री योगेन्द्र साहू, परिचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-3, के पद पर, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विजय शर्मा, टिकट परीक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, महासमुंद के पद पर श्रम निरीक्षक कार्यालय, महासमुंद में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक एफ 21-03/10/नौ/55.—फार्मेसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल में निम्नानुसार पांच सदस्यों को नामनिर्देशित करता है :—

(1)	श्री केशव दुबे पंजीयन क्र. 3744 महावीर मेडिकल एजेंसी, मेडिकल काम्पलेक्स, बिलासपुर जिला बिलासपुर	सदस्य
(2)	श्री जगदीश पटेल पंजीयन क्र. 7435 आदर्श मेडीसेल्स 16 न्यू मेडिकल काम्पलेक्स, रायपुर जिला रायपुर	सदस्य
(3)	श्री रणजीत सिंह सलूजा पंजीयन क्र. 3494 सलूजा मेडिकल स्टोर मेन रोड, कवर्धा जिला कबीरधाम	सदस्य
(4)	श्री भरतकुमार अजवानी पंजीयन क्र. 4755 29/498-आजनेय टी.वी. टावर रोड, शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर	सदस्य
(5)	श्री राजकुमार अग्रवाल पंजीयन क्र. 5838, रजत एजेन्सीज, ट्रांसपोर्ट नगर, रायगढ़ जिला रायगढ़.	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक एफ 21-03/10/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 9 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

Raipur, the 9th March 2010

No. F 21-03/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 of the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948), the State Government, hereby, nominates the following five members to the Chhattisgarh Pharmacy Council :—

1.	Shri Keshav Dubey Regd. No. 3744 Mahaveer Medical Agency Medicial Complex, Bilaspur, Distt. Bilaspur.	Member
2.	Shri Jagdish Patel Regd. No. 7435 Adarsh Medisales, 16 New Medical Complex Raipur, Distt. Raipur.	Member
3.	Shri Ranjeet Singh Saluja Regd. No. 3494 Saluja Medical Stores Main Road Kawardha Distt. Kabirdham.	Member
4.	Shri Bharat Kumar Ajvani Regd. No. 4755 29/498 Ajneya T. V. Tower Road Shankarnagar Raipur, Distt. Raipur.	Member
5.	Shri Rajkumar Agrawal Regd. No. 5838 Rajat Ajencies. Transport Nagar, Raigarh, Distt. Raigarh	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Under Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 मार्च 2010

क्र./1923/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	ठाकुरटोला प. ह. नं. 24	10.664	छ. ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग (कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल, परियोजना संभाग राजनांदगांव)	आवासीय प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भुरकोनी प. ह. नं. 13	207	10.934	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	गोकुल नगर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		योग		10.934		

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डुंमरतराई प. ह. नं. 115	308	1.073	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	थोक बाजार के विस्तार हेतु.
			308/8	0.405		
			308/9	0.405		
			308/10	0.263		
			311/6	0.405		
			311/4	0.405		
			311/5	0.393		
			311/9	0.405		
		योग	8	3.754		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 01 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.574 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.348
9	0.212

(1)	(2)	(1)	(2)
12/1	0.302	255	0.064
13	0.068	254/1	0.112
7/1	0.060	252	0.304
61/2	0.104	249/1	0.120
613	0.108	284	0.294
157/1 ख	0.024	250/1	0.128
157/ ग	0.049	286/1 ख	0.301
157/ङ	0.335	286/3	0.060
157/घ	0.334	289/1	0.024
62/3	0.060	288/1 क	0.012
62/1	0.124	463/1	0.089
65/1	0.432	290/1	0.008
66/1 क	0.064	294/1 क	0.068
66/2 ख	0.074	438/1	0.012
66/1 ख	0.121	289/3	0.076
66/3	0.058	494	0.024
157/1 क	0.062	345/1	0.004
158/6	0.108	384/1	0.008
155/12	0.030	346/1 ख	0.018
155/9	0.048	347/1/1	0.112
155/4	0.004	349	0.012
156/1 क	0.170	422/1	0.032
155/3	0.040	422/2	0.098
155/8	0.030	423/1	0.016
155/7	0.030	484	0.096
155/13	0.012	350	0.182
155/14	0.030	383	0.176
155/10	0.020	501/1 क/ग	0.096
68/3	0.072	380/1	0.164
153	0.204	385/1	0.094
162	0.210	380/2	0.132
163/1	0.214	379/2	0.288
202/2 क	0.108	475	0.112
202/22 च	0.174	424/1/2	0.008
206	0.016	440/1	0.104
207	0.064	438/2	0.020
208	0.108	463/2	0.008
213/2	0.212	464/1	0.348
495	0.140	483	0.094
211	0.412	496	0.048
201/1 ख	0.068	481/2	0.288
260	0.416	480	0.004
261	0.024	493/1	0.251
258/1	0.120	501/1 क/1	0.008
258/2	0.075	497/2	0.040
256	0.120	501/1 ख	0.292

(1)	(2)
210	0.008
425/516	0.096
442	0.098
501/1क/1ख	0.081
155/2	0.024
424/1/1	0.144
158/7	0.008
251	0.008
246	0.048
योग 98	11.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियाबथान योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 मार्च 2010

क्रमांक/404/01/अ-82/2009-10.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरखार, प. ह. नं. 35/51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
617	0.04
625	0.04
योग 2	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौ. लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-डिंडोल, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
396	0.18

(1)	(2)
398/5	0.40
377	0.70
380/2	0.35
380/1	0.36
398/4	0.43
398/1	0.08
398/2	0.30
379/3	0.40
378/8	0.23
379/1	0.40
398/6	0.08
379/7	0.30
380/3	0.20
380/4	0.15
398/3	0.20
374/1	0.38
योग 17	5.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डिंडोल यो. के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-18/अ-82 वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
123	0.033
योग 1	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामपुर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सड्डू, प. ह. नं. 109
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1533 वर्गमीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
87/5	
87/6	1533
87/7	
योग 3	1533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरौदा सड्डू मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/भू-अर्जन/01/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-आमागुडा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
98	0.63
99/2	0.50
103	0.65
110	0.76
116	0.77
129	1.00
137	0.15
138/1	0.03
138/2	0.06
142	0.14
143/1	0.04
143/2	0.45
144	1.22
150	0.23
154	0.26
157	0.20
160/1	0.10
160/3	0.10
160/4	0.05
171/1	0.12
171/3	0.13
171/4	0.13
174/1	0.21
174/3	0.21
174/4	0.20
174/5	0.20
174/6	0.20
174/7	0.20
177	0.52
180	0.80
182/1	0.04
183	0.36
190/1	0.02
227/1	0.16
230/1	0.40
230/2	0.37
231	0.43
232/1	0.11
232/2	0.11
232/3	0.11
232/4	0.11
232/5	0.11
233	0.24
234/1	0.10
234/2	0.20
234/3	0.26
234/4	0.24
234/5	0.26
234/6	0.20
234/7	0.06

(1)	(2)
234/8	0.06
234/9	0.06
234/10	0.06
234/11	0.06
235/1	0.47
240	0.80
246/1	0.20
246/2	0.20
योग 58	16.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मंगनपुर, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-96.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.60
1/2	0.04
1/3	0.60
1/4	0.10
1/5	0.10
1/6	0.06
1/7	0.06
1/8	0.10
1/9	0.08
1/10	0.08
1/11	0.05
1/12	0.05
2/1	0.23
2/2	0.67
2/3	0.58
2/4	0.20
2/5	0.40
2/6	0.40
2/7	0.20
2/8	0.40
2/9	0.20
2/10	0.06
2/11	0.20
2/12	0.10
2/13	0.10
2/14	0.06
2/15	0.04
2/16	0.10
3/1	0.12
3/2	0.11
3/3	0.28
3/4	0.27
3/5	0.28
3/6	0.30
3/7	0.30
3/8	0.20
3/9	0.20
3/10	0.04
3/11	0.04
3/12	0.04
3/13	0.04
4/1	1.52
4/2	1.69
4/3	0.59
4/4	0.34
4/5	0.40
4/6	0.60
4/7	0.08
4/8	0.08
4/9	0.08
4/10	0.08
4/11	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
4/12	0.05	106/3	0.33
4/13	0.05	106/4	0.08
4/14	0.40	106/5	0.61
4/15	0.05	106/6	0.20
5/1	0.07	106/7	0.10
5/2	0.12	106/8	0.10
5/3	0.12	106/9	0.10
5/4	0.12	106/10	0.16
6	0.17	106/11	0.06
7/1	0.20	106/12	0.06
7/2	0.20	106/13	0.05
7/3	0.19	106/14	0.14
8/1	0.14	106/15	0.40
8/2	0.13	106/16	0.10
9	0.42	106/17	0.04
10/1	0.79	106/18	0.05
10/2	0.18	106/19	0.04
10/3	0.20	106/20	0.10
10/4	0.20	31/9	0.08
10/5	0.07	32/1	0.46
20/3	0.08	113/2	0.20
20/4	0.08	115	1.77
104/3	0.08	116	0.89
104/4	0.08	119	0.54
104/5	0.13	120	0.35
104/6	0.03	123	0.77
104/7	0.08	124	0.38
104/8	0.20	125	0.48
104/9	0.20	126	0.06
104/10	0.05	127/1	0.15
104/11	0.05	127/2	0.01
104/12	0.05	127/3	0.13
104/13	0.05	127/4	0.03
104/14	0.05	127/5	0.03
104/15	0.05	127/6	0.03
104/16	0.05	127/7	0.03
104/17	0.08	128	0.31
104/18	0.08	129	0.21
104/19	0.08	130	0.41
104/20	0.08	131/1	0.35
104/21	0.08	131/2	0.06
104/22	0.08	131/3	0.34
104/23	0.08	131/4	0.02
105	0.80	131/5	0.07
106/1	0.30	131/6	0.07
106/2	0.92	131/7	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
131/8	0.05	245/8	0.02
132/2	1.10	245/9	0.02
134	0.51	245/10	0.02
157/1	0.21	245/11	0.02
157/2	0.04	104/1	0.09
157/3	0.20	104/2	0.12
157/4	0.04	10/6	0.07
157/5	0.04	10/7	0.07
157/6	0.04	10/8	0.04
157/7	0.04	10/9	0.04
159	0.40	11/1	0.27
160/1	0.10	11/2	0.03
160/2	0.06	11/3	0.03
160/3	0.05	12/1	0.08
160/4	0.06	12/2	0.04
160/5	0.10	12/3	0.04
45/3	0.10	12/4	0.05
45/4	0.10	12/5	0.05
164	0.51	12/6	0.05
165	0.17	12/7	0.02
166	0.60	12/8	0.07
167	0.60	13/1	0.53
168	0.89	13/2	0.19
169	0.41	13/3	0.07
170	0.40	14/1	0.08
171	0.22	14/2	0.07
172	0.40	14/3	0.13
173	0.46	14/4	0.13
237	0.94	14/5	0.13
238	0.81	14/6	0.13
240	0.62	14/7	0.13
241	0.62	15	1.19
242/1	0.19	16/1	0.09
242/2	0.10	16/2	0.06
242/3	0.08	17/1	0.22
242/4	0.07	17/2	0.13
242/5	0.08	17/3	0.28
242/6	0.08	17/4	0.48
244	1.24	17/5	0.20
245/1	0.16	17/6	0.20
245/2	0.21	17/7	0.40
245/3	0.20	17/8	0.40
245/4	0.20	17/9	0.12
245/5	0.20	17/10	0.12
245/6	0.10	17/11	0.12
245/7	0.10	18	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
19/1	0.40	31/8	0.10
19/2	0.40	32/2	0.54
20/1	0.47	32/3	0.19
20/2	0.08	32/4	0.29
20/5	0.08	32/5	0.20
20/6	0.05	32/6	0.20
21/1	0.07	32/7	0.50
21/2	0.11	32/8	0.10
22/1	0.05	32/9	0.10
22/2	0.10	32/10	0.10
22/3	0.20	32/11	0.20
22/4	0.10	32/12	0.17
23/1	0.02	33	0.47
23/2	0.11	34/1	0.08
23/3	0.04	34/2	0.08
23/4	0.05	36/1	0.08
23/5	0.05	36/2	0.45
24/1	0.67	36/3	0.38
24/2	0.50	36/4	0.20
24/3	0.50	36/5	0.20
24/4	0.50	36/6	0.08
24/5	0.50	36/7	0.05
24/6	0.20	36/8	0.05
25/1	0.29	36/9	0.05
25/2	0.89	36/10	0.05
25/3	0.22	36/11	0.10
25/4	0.89	37/1	0.58
25/5	0.20	37/2	0.58
25/6	0.20	37/3	0.58
25/7	0.20	38/1	0.24
25/8	0.20	38/2	0.25
25/9	0.20	38/3	0.25
25/10	0.10	38/4	0.25
25/11	0.10	38/5	0.19
25/12	0.08	38/6	0.06
26	0.78	39/1	0.20
27	0.48	39/2	0.77
28	0.59	39/3	0.77
29	0.44	39/4	0.76
30	0.52	44/1	0.35
31/1	0.32	44/2	0.16
31/2	0.30	44/3	0.08
31/3	0.40	44/4	0.16
31/4	0.40	45/1	0.46
31/5	0.40	45/2	0.10
31/6	0.33	45/5	0.10
31/7	0.10	49	0.35

(1)	(2)	(1)	(2)
50	0.24	99	1.51
60	0.44	100	0.91
61	0.96	101	0.43
62/1	0.13	102/1	0.50
62/2	0.08	102/2	0.50
62/3	0.04	103/1	0.18
62/4	0.05	103/2	0.17
62/5	0.09	103/3	0.17
62/6	0.04	106/21	0.10
63	0.50	106/22	0.05
64	0.09	107	0.40
65	0.13	108	0.40
66/1	0.16	111	0.08
66/2	0.35	112	0.44
66/3	0.19	113/1	0.60
89	0.99	161	0.13
90/1	0.30	162/1	0.22
90/2	0.30	162/2	0.21
90/3	0.30	163/1	0.10
92/1	0.30	163/2	0.05
92/2	0.30	163/3	0.05
93	0.36	163/4	0.07
94/1	0.35		
94/2	0.35	योग 386	96.07
97/1	0.10		
97/2	0.12		
97/3	0.12		
97/4	0.06		
98/1	0.57		
98/2	0.80		
98/3	0.20		
98/4	0.20		
98/5	0.05		
98/6	0.05		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर सिंह परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया छत्तीसगढ़

कोरिया, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक/4283/स.नि.स./2010.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5018/वि-3/08/स.नि.स./09 रायपुर दिनांक 3-11-2009 एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए निम्नानुसार

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	कमेटी में धारित पद
1.	मान. डॉ. चरणदास महंत, सांसद, संसदीय क्षेत्र, कोरबा	अध्यक्ष
2.	मान. श्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव, पं.ग्रा.वि. विभाग एवं विधायक विधान सभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर.	सदस्य
3.	मान. श्री दीपक पटेल, विधायक विधान सभा क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़	सदस्य
4.	मान. श्री फूलचंद्र सिंह, विधायक विधान सभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत	सदस्य
5.	कलेक्टर कोरिया	सदस्य सचिव
6.	अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया	सदस्य
7.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	सदस्य
8.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत सोनहत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत खडगवां	सदस्य
10.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़	सदस्य
11.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत भरतपुर	सदस्य
12.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया	सदस्य
13.	श्री गुलाब सिंह, आत्मज स्व. नंदलाल सिंह ग्राम व पोस्ट बंजारीडांड, जिला कोरिया पूर्व विधायक विधान सभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़.	सदस्य
14.	श्री तीरथ गुप्ता, आत्मज स्व. रामअवतार गुप्ता बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया, सामाजिक कार्यकर्ता अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् बैकुण्ठपुर.	सदस्य
15.	श्रीमती मौसमी पाल, पत्नी श्री अंतक पाल डोमनहिल; चिरमिरी जिला कोरिया अध्यक्ष महिला मंडल चिरमिरी	सदस्य
16.	श्रीमती सुशीला मरावी पत्नी श्री मनमोहन सिंह मरावी, ग्राम-चनवारीडांड पोस्ट मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया.	सदस्य

आलोक अवस्थी,
कलेक्टर एवं सदस्य सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th March, 2010

No. 104/Confdl./2010/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Shraddha Shukla, XII Civil Judge Class-II, Raipur, for changing of her surname, she is, hereby, permitted to change her surname as "Smt. Shraddha Shukla Sharma". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 5th March, 2010

No. 106/Confdl./2010/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Kiran Shukla, V Civil Judge Class-II, Bilaspur, for change of her surname, she is, hereby, permitted to change her surname as "Smt. Kiran Tripathi". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 4th March 2010

No. 214/II-2-9/2009.—Shri Sanjay Sendray, Judge, Family Court, Ambikapur is hereby, granted earned leave for 15 days from 09-03-2010 to 24-03-2010 and permission to suffix holidays of 24-03-2010 along with permission to leave headquarters from 09-03-2010 to 24-03-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sendray, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 5th March 2010

No. 217/L.G./2010/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-03-2010 to 17-03-2010 along with permission to leave headquarters from the evening of 14-03-2010 till the morning of 18-03-2010.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 72 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 11th March 2010

No. 221/L.G./2010/II-3-10/2007.—Shri Sharad Gupta, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 15-03-2010 to 19-03-2010 and permission to prefix holidays from 13th to 14th March 2010 (2nd Saturday & Sunday) & suffix holidays from 20th to 21st March 2010 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the office hours on 12-03-2010 till before the office hours on 22-03-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक 41/दो-2-20/2006.—श्री आनन्द कुमार बेक, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06/दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.